R Rochin Chandra, MSc, MPhil, Prof Doc Public Policy (Ongoing)
Director & Chief Criminologist, Center for Criminology & Public Policy, India
Steering Committee Member, Women and Crime Network

Photo by AryaPratama on Unsplash

Electronic Submission

Submission to the Chairperson of the National Commission for Women in India on Domestic Violence in the context of COVID-19 pandemic lockdowns

21 May, 2020

माननीय अध्यक्ष महोदया,

यह नीति संक्षेप **सेण्टर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी[1], इंडिया** के वीमेन एंड क्राइम नेटवर्क द्वारा बनाया गया है, जिसमे भारत के जानेमाने फेमिनिस्ट रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स जुड़े हुए है. राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित सेण्टर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी, एक **अपराधिक न्याय थिंक टैंक (वैचारिक समूह)** है, जो केंद्र एवं राज्य सरकार की नीति निर्माण प्रणाली को मजबूती देने के लिए अपराध से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों पर साक्ष्य-आधारित शोध करता है. इस संक्षेप द्वारा हमने लॉकडाउन के कारण घरेलु हिंसा की बढ़ती समस्या पर अपनी चिंताएं व्यक्त की है और उन्हें प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए दूसरे देशों द्वारा अपनाई गई आशाजनक प्रतिक्रियाओं का सहारा लेकर कुछ व्यावहारिक नीति सुझाव दिए है.

जैसा की हम जानते है, कोविड-19 लॉकडाउन का असर सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि लोगों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक जीवन पर भी पड़ा है. **जॉब लॉस और वेतन मे कटौती[2] से** लोगों के पास आय अर्जित करने के अवसर खत्म हो गए है, जिसके परिणामतः उन्हें **भुखमरी, आर्थिक तनाव, अनिश्चितता और एंग्जायटी** का सामना करना पड़ रहा है. यही नहीं, इस विषम परिस्थिति से बेचैन **कई पुरुष** (खास करके वे जो लॉकडाउन के कारण अपनी रोज़गारी गवां बैठे हैं) अपने-आप को अपर्याप्त महसूस कर रहे हैं, और **घरेलु हिंसा के सहारे अपनी हताशा निकाल रहे हैं.** उल्लेखनीय है की इस वर्ग में **कुछ पुरुष** ऐसे भी है जो शराब के नशे में अपनी औरतों के साथ रोज़ाना मारपीट किया करते हैं और **महामारी के चलते शराब न मिल पाने के कारण और ज़्यादा उग्र हो गए है.**

वहीँ दूसरी ओर, **डोमेस्टिक हेल्प की नामौजूदगी और स्कूल बंद होने के कारण** घर व बच्चों की देखरेख का सारा बोझ महिलाओं के कंधे पर आ गया है, जिससे **छोटी-सी-छोटी तकरार लड़ाई झगड़ों में या मार-पीट में तब्दील हो रही है.**

Complaints received by National Commission for Women

239 **Domestic violence complaints received during lockdown (March 23 to April 16)**

123 **Domestic violence complaints received 25 days preceeding the lockdown (February 27 to March 22)**

Domestic violence: (199 + 40*)

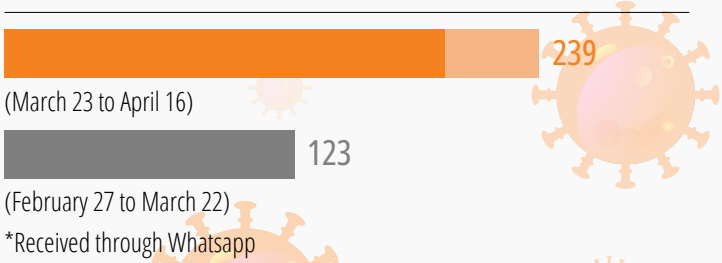

*Received through Whatsapp

राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, **23 मार्च से 16 अप्रैल तक आयोग को घरेलु हिंसा की 239 शिकायतें प्राप्त हुई** (हालाँकि इसमें महिला हेल्पलाइन एवं पुलिस अथॉरिटीज को की गई शिकायतों का डेटा शामिल नहीं है) जबकि फरवरी 27 से मार्च 22 के बीच केवल 123 ऐसे मामलें सामने आए[5]. आयोग द्वारा जारी किए गए डाटा से यह भी पता चला है कि **लॉकडाउन के दौरान घरेलु हिंसा के मामलों में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं[4]**, जिससे यह स्पष्ट हो चुका है कि महिलाऐं इस महामारी से बुरी तरह त्रस्त है.

इसके अतिरिक्त कई हिंसा के मामलें ऐसे भी है जो अक्सर रिपोर्ट नहीं होते[5]. दरअसल, पुरुष प्रधान समाज में रहने के कारण अधिकतर महिलाऐं घरेलु हिंसा को निजी मामला समझती है. इसलिए, वे पुरुष की गलती को गलती नहीं मानती और स्वयं अपने आप को ही हिंसा का दोषी ठहराती हैं. कुछ शादी शुदा महिलाएं घरेलु हिंसा को चुपचाप सहती रहती हैं क्यूंकि उन्हें बचपन से ये ही सिखाया गया हैं कि जो लड़किया चुप रहती हैं उन्हें ही अच्छा माना जाता हैं. और अगर वे अपनी जुबान खोलेंगी तो उन पर घर तोड़ने का लांछन लगेगा[6] और उन्हें समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, अकेली रह रही कामकाजी महिलाएं इस कारण खामोश रहती हैं कि अगर वो इस तरह की बात करेंगी तो पुरुष-प्रधान दफ्तर के माहौल में उन्हें कमजोर समझा जाएगा.

लॉकडाउन की स्थिति में **घरेलु हिंसा का** यह **सिलसिला** केवल भारत में ही नहीं बल्कि **पुरे विश्वभर में देखा गया है[7]**. इस दौरान सभी **लोग अपने ही घरों में कैद हो गए है[8]**. ऐसे में **महिलाएं** सबसे ज़्यादा **असुरक्षित है,** क्योंकि इस बीच वे **न तो हिंसक से दूर भाग सकती है और न ही किसी से सहायता मांग सकती है.** हालाँकि कुछ महिलाएं इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करके अथॉरिटीज से मदद मांग रही है, लेकिन उसमे भी हिंसक द्वारा प्रतिकार का काफी जोखिम है. और तो और, **गरीब और अनपढ़ महिलाओं के लिए इंटरनेट के जरिये हिंसा की शिकायत करना तो लगभग असंभव है.** इसलिए ज़रूरी है की इस संकट के समय में इन महिलाओं की ज़रूरतों को पहचाना जाए और हिंसा से सुरक्षा के लिए उन्हें सरकार द्वारा उचित सेवाएं प्रदान की जाएं.

Photo by Markus Spiske from Pexels

इस संक्षेप में प्रस्तुत सुझावों को छह भागों में विभाजित किया गया है, जो की इस प्रकार है:

- जागरूकता के लिए वर्धित जानकारी - सामुदायिक लामबंदी हेतु सहयोग;
- कोविड -19 के दौरान घरेलु हिंसा से जूझ रही महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं सहायता सेवाओं में मज़बूती लाने की ज़रूरत;
- घरेलु हिंसा की ओर रेस्पॉन्स क्वॉलिटी सुधारने के लिए सरकारी सेवाओं की क्षमता निर्माण;
- लॉकडाउन के दौरान घरेलु हिंसा पर लगाम लगाने के लिए वित्तीय हस्तक्षेप;
- महिलाओं के हितों की उन्नति के लिए बेहतर समवन्य ज़रूरी;
- घरेलु हिंसा से निपटने की अनुक्रिया योजना बनाने हेतु करें डेटा कलेक्शन;
- समाधान व बहाली योजनाएं बनाने के लिए महिला एवं अपराधिक न्याय विचारक समूहों को नीति-निर्माण प्रक्रिया में करें शामिल;

यह संक्षेप एक "होलिस्टिक डॉक्यूमेंट" है, जिसे बनाने से पहले देश की **कई महिला संगठनों एवं नारीवादी विद्वानों से सलाह मशविरा किया गया** और दुनिया के अन्य देशों **की नीति प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की गई.** इस सबमिशन में ऐसे कई विशेषज्ञों के विचार और दृष्टिकोण भी सम्मिलित है जिन्होंने कोविड -19 के दौरान घरेलु हिंसा से निपटने के लिए अखबारों में खाद्य एवं आर्थिक सुरक्षा से सम्बंधित लेख प्रकाशित किए.

हमें उम्मीद है कि यह संक्षेप आपको महिलाओं के संरक्षण और उनकी सहायता के लिए एक बेहतर रेस्पॉन्स विकसित करने में मददगार रहेगा. नारीवादी सिद्धांतों व मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध, एक अपराधिक न्याय थिंक टैंक होने के नाते, हम राष्ट्रीय महिला आयोग से आग्रह करते है कि इस संक्षेप में प्रस्तुत सुझावों को अपनाने हेतु सभी राज्य सरकारों व सम्बंधित मत्रालयों को जल्द-से-जल्द दिशा-निर्देश जारी करें.

जहाँ कोरोना महामारी के लम्बे समय तक बने रहने के आसार है, वही महिला हिंसा के रोकथाम के लिए अगर हम किसी भी तरह से आपकी सहायता कर सकते है या कोई जानकारी दे सकते है, तो हमें सीधा **ccppindia@gmail.com** पर संपर्क करें.

इस सन्दर्भ में हम आपसे सुनने के लिए तत्पर हैं.

HOW COVID-19 CAN INCREASE RISK OF VIOLENCE FOR WOMEN

- Women, trapped with abusers, may not be able to contact family members and friends, who may provide support and protection from violence.
- Restriction on mobility has taken away the option of escaping to a safer place.
- Scale back of criminal justice services such as helplines, emergency response services, legal aid, one stop centers, and justice system means reduced access to the sources of help that women in unhealthy relationships might have[9].
- Loss of financial independence means some women may lose their sense of empowerment and bargaining power at home.
- With abuser(s) around at home, women may find it difficult to report domestic violence[10]. Some might not complain against violence in homes due to fear of retaliation by the abuse(s).
- Due to sudden and unnatural situation of staying at home, family members are spending more time in close contact and are coping with stress, job loss fear and uncertain futures. This has increased the likelihood that women in an abusive relationship will be exposed to violence.
- Loss of livelihood and inability to earn a living means decreased access to basic necessities and regular services. This is increasing stress, and exacerbating conflicts and violence.
- Abusers are becoming violent because of alcohol withdrawal[11].

जागरूकता के लिए वर्धित जानकारी - सामुदायिक लामबंदी हेतु सहयोग

1

लॉकडाउन की वजह से महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रही घरेलू हिंसा, इससे होने वाली शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न और ऐसी घटनाओं से बचने के उपायों पर विशेष प्रकाश डालते हुए लोगों को जागरूक करने की जरुरत है. इसके लिए महिला आयोग को **सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक पुरुषतत्व**[12] (जैसे, घर के काम-काज की ज़िम्मेदारियाँ लेना; घर की औरतों के संग भेदभाव, दुराचार और क्रूरता होने से रोकना व उनकी मदद करना; और संभावित हिंसक स्थिति की तीव्रता कम करने के लिए अपनी आवाज़ उठाना इत्यादि) की उम्मीदों **पर लोगों को रचनात्मक और स्वस्थ मैसेजेस पहुंचाने होंगे** और इससे सम्बंधित **हैशटैग शुरू करने होंगे.** कोरोना महामारी के बीच घरेलू हिंसा के चपेट में आई **कामगार महिलाएं और अन्य कमज़ोर आबादी को सहायता** करने और उनके कल्याण की देखरेख एवं संरक्षण सुनिश्चित **करने के लिए भी ऑनलाइन कैंपेन चलाने होंगे.**

> **लॉकडाउन के पहले व दूसरे चरण में महिला आयोग और पुलिस विभाग ने घरेलु हिंसा के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का असरदार उपयोग किया किन्तु इन प्रयासों का झुकाव पीड़िताओं के लिए उपलब्ध सहायता सेवा की ओर ज़्यादा और घरेलु हिंसा को रोकने की तरफ कम था.**

> **लॉकडाउन के पहले व दूसरे चरण में अखबारों ने घरेलु हिंसा के मुद्दे को बहुत लम्बा चौड़ा कवरेज दिया. कई विशेषज्ञों ने अखबारों के लिए लिखते हुए इस परेशानी पर नीतिगत सुझाव पेश किए. लेकिन महिला सुरक्षा पर कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव को लेकर अभी भी टीवी और रेडियो का इस्तेमाल अपेक्षित है.**

2

ऐसे मैसेजेस को पीएम-केयर्स फंड के पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह **लोकप्रिय टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम्स के इंटरवल के दौरान ब्रॉडकास्ट**[13] करने की व्यवस्था करनी होगी. **न्यूज़ चैनल्स पर एडवर्टिजमेंट स्ट्रिप** लगवाकर भी ये मैसेज लोगों तक पहुँचाया जा सकता है. इस अभियान को मजबूती देने के लिए **लोकल रेडियो चैनल्स और अखबारों**[14] को भी संलग्न करना होगा. जहाँ ऐसा करने से पीड़िताएं हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आगे आएगी, वही ज़रूरी है कि टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशन्स और अखबारों को महिला आयोग द्वारा एक आदेश जारी किया जाए जिसमे लॉकडाउन के दौरान **घरेलु हिंसा रोकथाम एवं जोखिम शमन हेतु** उचित सूचना देने का निर्देश हो. मास मीडिया के जरिये लोगों को **सेंसिटाइज़ करने के लिए निर्भया फण्ड का इस्तेमाल** किया जाना चाहिए.

3

लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और मारपीट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए **मोबाइल टेलीकॉम कम्पनीज़ के साथ भी साझेदारी** करनी होगी[15]. इससे **बल्क मैसेज सेवा का इस्तेमाल** करके संभावित हिंसकों को सचेत किया जा सकता है और पीड़िताओं को महिला हेल्पलाइन की जानकारी दी जा सकती है. इसके अलावा, कोविड-19 और **घरेलू हिंसा रोकथाम पर पॉडकास्ट एपिसोड्स और ऑनलाइन स्किट्स** बनाकर लोगों को उनके लिंक्स मैसेज किए जा सकते है. गौरतलब है कि लॉकडाउन के पहले चरण में बैंकिंग कम्पनीज़ ने ऑनलाइन ठगी के खिलाफ सुरक्षा इंतज़ाम करने के लिए लोगों को मैसेज द्वारा सतर्क किया था. उसी तरह महिलाओं को घरेलू हिंसा से संबंधित सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं कि जानकारी देकर उनकी मदद की जा सकती है.

> **जहाँ जेंडर स्टीरियोटाइप और हानिकारक पुरुषत्व को चुनौती देने के लिए स्पेन, एंटीगुआ, बारबुडा, केन्या, साउथ अफ्रीका, सिएरा लीओन, म्यांमार, और कोलंबिया जैसे देश टेलीकॉम कम्पनीज़ की मदद से लोगों को मैसेजेस और पॉडकास्ट व ऑनलाइन स्किट्स के लिंक्स भेज रहे है, वहीं महिला आयोग से ऐसी अनुक्रिया अपेक्षित है.**

जमैका, ग्रेनेडा, गयाना, कोस्टा रिका, श्रीलंका, पेलस्टीन और मेक्सिको जैसे देशों ने घरेलु हिंसा विरोधी अभियान चलाया है.भारत में कई महिला एवं पक्ष समर्थन समूह स्थानीय स्तर पर ऐसा कर रहे है, लेकिन महिला आयोग की तरफ से उन्हें आर्थिक मदद मिले तो यही अभियान ग्राम, खंड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सकता है.

4 यूनाइटेड नेशन्स के #रिंग द बेल कैंपेन[16] की तरह हमे भी **सब्जी मंडी, मेडिकल स्टोर्स और किराने की दुकानों पर घरेलू हिंसा विरोधी अभियान** शुरू करने होंगे. ग़ौरतलब है की देश में घरेलू हिंसा संरक्षण कानून आने के बाद, आज भी कई महिलाएं घरेलू हिंसा को प्राइवेट मुद्दा ही मानती है और अपनी आपबीती दूसरों से साझा करने में झिझकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके विचार में घर-गृहस्थी एक प्राइवेट स्फीयर (यानी असार्वजनिक क्षेत्र) है, जहाँ मर्द औरतों पर अपनी हुकूमत चलाते है. शोध के अनुसार[17] पुरुषों का महिलाओं पर ये नियंत्रण चुप्पी में बदल जाता है, जिससे हिंसा के बारे में बोलने व उसकी शिकायत करने को औरतें अपने जीवन पर कलंक समझने लगती है.

ऐसे में आयोग को एक विजिलेंस कमेटी का गठन करना होगा जिसमे सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स की आंगनवाड़ी वर्कर्स, वीमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, पंचायत समिति और वार्ड पार्षदों की भागीदारी हो. इस कमेटी का उद्देश्य वार्ड एवं ग्राम की महिलाओं को **(पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर और हॉर्न स्पीकर्स पर रचित गीतों द्वारा)** कोविड 19 और घरेलू हिंसा के चक्र के बारे में शिक्षित करने के साथ-साथ घरेलू उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को तत्काल मदद और कारवाई करने के लिए उचित संसाधनों का मार्गदर्शन देना होगा. **ये कमेटी महिला हेल्पलाइन और पुलिस स्टेशन के साथ कोआर्डिनेशन में काम करे** तो ग्रामीण महिलाओं पर इस अभियान का सकारात्मक प्रभाव हो सकता है. इसके अतिरिक्त, पुरुषों को भी इस विरोध अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, ताकि पारंपरिक मर्दानगी के नकारात्मक पहलूओं को चुनौती दी जा सके.

5 महिला आयोग को एक आदेश जारी करना चाहिए जिसमे **सरकारी दफ्तरों तथा प्राइवेट कम्पनीज़ के निदेशकों को लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों** का **स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा की देखभाल करने हेतु निर्देश** हो. ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर प्राइवेट सेक्टर एम्पलॉईस **'वर्क फ्रॉम होम' नॉर्म्स** का पालन कर रहे है, जहाँ उन्हें अपने परिवार के साथ काफी समय बिताना पड़ रहा है और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बिलकुल खत्म हो चुका है. ऐसे कठिन समय में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए घर से काम करना काफी तनावपूर्ण बन गया है, क्योंकि घर में कैद होने की वजह से उनके बार-बार झगड़े हो रहे हैं (ये झगडे ऑफिस की ज़िम्मेदारियों के साथ घर और बच्चों की देखभाल के बोझ से हो रहे है, और विशेष तौर पर कामगार महिलाएं इसकी चपेट में आ रही है), छोटे-छोटे झगड़े बड़े और गंभीर झगड़ों में तब्दील हो रहे है, और ऐसी परिस्तिथियों में वे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों से मदद नहीं ले पा रहे. इसलिए ज़रूरी है कि, **कंपनीज़** लॉकडाउन के दौरान अपने **कर्मचारियों को घरेलू हिंसा से संबंधित इनफार्मेशन गाइड उपलब्ध कराए ताकि** घरेलू उत्पीड़न की शिकार **महिलाएं इमरजेंसी हेल्पलाइन द्वारा स्थानीय पुलिस, एनजीओ और काउंसलर से जुड़ सके, व पुरुष कर्मचारी अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी निराशा, पारिवारिक झगड़े और असहमति हैंडल कर सके.**

जोरजीआ और टर्की में सरकारी दफ्तरों एवं प्राइवेट कम्पनीज़ के निदेशकों ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस, रेस्पॉन्स एंड प्रिवेंशन गाइडेंस निकाली है. भारत में यह पॉलिसी दोहराने से मध्यम और उच्च मध्यम वर्गों में घरेलु हिंसा के मामलें कम हो सकते है.

हालाँकि लॉकडाउन के दूसरे चरण में बॉलीवुड के कुछ मशहूर कलाकारों ने घरेलू हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी. पर क्यूंकि घरेलु हिंसा की परेशानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंडों से जुडी है, इसलिए महिला आयोग को धार्मिक और आध्यात्मिक नेतागणों से ताल मेल बिठाना पड़ेगा. ये नेतागण (अपने प्रभावशाली संदेशों से) पितृसत्तात्मक रवैयों में बदलाव ला सकते हैं और महिलाओं के लिए अहिंसक माहौल उजागर कर सकते है.

6 घरेलू हिंसा विरोधी अभियान में **फेथ-बेस्ड इंस्टीटूशन और धार्मिक नेताओं को शामिल** करना होगा. दरअसल ऐसी शख्सियत पीड़िताओं को उत्पीड़न के प्रति चुप्पी तोड़ने व कलंक लगने के डर से उभरने का साहस दे सकते हैं. साथ ही साथ, घरेलू हिंसा रोकने व घरों को महिलाओं के लिए सेफ स्पेस बनाने के लिए मर्दानगी के पारंपरिक विचारों में परिवर्तन लाने में भी ये काफी सहायता कर सकते हैं. जहाँ दुनिया की 84 प्रतिशत जनता अपने आप को किसी न किसी धर्म से पहचानती है[18], **वहां धार्मिक नेतागण इस अभियान से जुड़ी जानकारी को अपने समुदाय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकते हैं.** यह कार्य सोशल मीडिया और मास मीडिया के ज़रिये और प्रभावी रूप से हो सकता है. **सेलिब्रिटीज द्वारा भी इस अभियान का प्रचार करने की ज़रूरत है** ताकि घरों को औरतों के लिए 'सेफ स्पेस' बनाया जा सके.

घरेलु हिंसा के प्रति रेस्पॉन्स क्वॉलिटी सुधारने के लिए सरकारी सेवाओं की क्षमता निर्माण

↗ लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ **घरेलू हिंसा की बढ़ती शिकायतों से पुलिस को अवगत कराना होगा.** उनको पीड़िताओं के साथ **उचित बर्ताव** करने की, उन्हें **त्वरित प्रतिक्रिया** देने की, उनकी **सुरक्षा और ज़रूरतों का विशेष ध्यान** रखने की, और उनके **कल्याण के लिए** उचित **सहायता सेवाएं दिलवाने की ट्रेनिंग** भी देनी होगी. दरअसल लॉकडाउन के बीच घर में बंद महिलाओं को सिर्फ शारीरिक उत्पीड़न का ही खतरा नहीं; उन्हें डरा धमकाकर, उन पर नियंत्रण हासिल करके, उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है (जिसमे यौन शोषण की सम्भावना को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता)[19]. इसलिए इन **छोटे-छोटे संकेतों को समझने** और उन्हें गंभीरता से लेने के लिए पुलिस को **उचित ट्रेनिंग** देने की जरुरत है. हालाँकि ऐसा तभी संभव है जब ये इंस्ट्रक्शंस उन्हें ऑनलाइन **(या तो वेबिनार के ज़रिये या फिर पुलिस वर्चुअल लर्निंग एप के ज़रिये)** डिलीवर किए जाए. इसके अलावा, लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों को हैंडल करने के लिए, नई **गाइडलाइन्स और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स** अपनाए जाने चाहिए.

↗महिला आयोग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि **पुलिस ऑफिसर्स घरेलू हिंसा के मामलों को प्राथमिकता दें** और किसी भी **पीड़िता की शिकायत दर्ज करने से इंकार न करे.** यही बात प्रोटेक्शन ऑफिसर्स (PO) पर भी लागू होती है. उन्हें घरेलु हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर तुरंत ध्यान देना होगा और पीड़िताओं (और उनके बच्चों) को ज़रूरत सहायता सेवाएं प्राप्त करवाने के लिए अपना पूरा समय समर्पित करना होगा. **उन्हें डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की क्वालिटी सुधारने**[20] तथा **कानूनी प्रक्रिया की समझ**[21] **बढ़ाने की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए.** इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान PO के संपर्क में आई कई महिलाओं ने बताया कि **'घर और शादी को टूटने से बचाओ'**[22] **मानसिकता** के चलते POs अक्सर पीड़िताओं की **शिकायत दर्ज नहीं करते** और उन्हें खतरनाक स्थिति में धकेल देते हैं. इस रवैये में बदलाव लाने के लिए POs को **विशेष साइकोलॉजिकल स्किल्स** देने की ज़रूरत है. ये सभी ट्रेनिंग और स्किल्स वेबिनार के ज़रिये दिए जा सकते है.

↗ लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को साइको-सोशल सपोर्ट देने वाले **फ़र्स्ट रेस्पॉन्डर्स**[23] (हेल्थ वर्कर्स समेत सभी पुलिस कर्मी, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, वीमेन हेल्पलाइन वर्कर्स, लीगल ऐड वर्कर्स, कोर्ट ऑफिशल्स, एमर्जेन्सी शेल्टर और काउंसलिंग स्टाफ) को **क्राइसिस इंटरवेंशन और मेन्टल हेल्थ एंड वेल्बीइंग पर ट्रैन करना होगा.** इसके अलावा, सभी फ़र्स्ट रेस्पॉन्डर्स को **अपडेटेड सर्विस डिलीवरी प्रोटोकॉल्स, कोड ऑफ़ कंडक्ट** और **ऑनलाइन सर्विस देने के संसाधनों पर** भी **गाइडेंस** देना होगा. इतना ही नहीं बल्कि लॉकडाउन के दौरान महिला पीड़ितों को टेली-काउंसलिंग और ऑनलाइन-काउंसलिंग के ज़रिये मदद करने वालों को **थेराप्यूटिक अप्रोचेस और सेल्फ-मैनेज स्ट्रेटेजीज़ की ट्रेनिंग** देना भी अति-आवश्यक है. ऐसा करने के लिए ऊपर बताए गए विषयों पर कुछ मिनटों का **ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल** बनाना सम्भाव्य है और इस तरह सभी हितधारक कोविड-19 के संकटकाल में रेस्पॉन्ड करने के लिए **नए ओरिएंटेशन** का उपयोग कर सकेंगे.

↗जिन राज्यों में वन स्टॉप सेंटर्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां साइकोलॉजिस्ट्स और लॉयर्स का एक पैनल बनाना होगा जोकि पीड़िताओं को फ़ोन के ज़रिये लीगल ऐड और काउंसलिंग दे सके. दरअसल अधिकतर साइकोलॉजिस्ट्स को ई-काउंसलिंग करने का अनुभव होता है, परन्तु **वर्चुअल लीगल सपोर्ट**[24] **देने के लिए हर राज्य में एक कॉम्पिटेंट लॉयर्स का पैनल तो होना ही चाहिए.**

↗ **जिन बच्चों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू प्रताड़ना सही है, उनकी सहायता करने के लिए** चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और स्कूल स्टाफ के बीच एक **सेफगार्डिंग पार्टनरशिप**[25] स्थापित करनी होगी और उन्हें एक **जॉइंट-ट्रेनिंग** देनी होगी. ऐसा करने से बच्चों पर हुई हिंसा का प्रभाव मालूम पड़ सकता है, और उनके लिए स्कूल में सेफ और स्टेबल माहौल उजागर किया जा सकता है. लॉकडाउन के बीच घरेलू हिंसा देखने, सुनने, उसकी चपेट में आने और उसके परिणामस्वरूप माँ-बाप से प्यार और देखभाल प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से **जिन बच्चों ने स्कूल परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया है, उन्हें** ऐसी पार्टनरशिप्स के तहत स्कूल से **एम्पथेटिक और फेवरेबल ट्रीटमेंट** प्राप्त हो सकता है.

कोविड -19 के दौरान घरेलु हिंसा से जूझ रही महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं सहायता सेवाओं में मज़बूती लाने की ज़रूरत

1 लॉकडाउन की वजह से घर में कैद हुई महिलाओं को हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिला आयोग को क्रिमिनोलॉजिकल थिंक-टैंक्स के साथ मिलकर एक **डोमेस्टिक वायलेंस पर्सनल सेफ्टी प्लान बनाना होगा** और इस बुकलेट का आक्रामक प्रचार करना होगा. गौरतलब है कि ऐसा प्लान बनाना से महिलाएं कई तरह की सेफ्टी स्किल्स सीख सकती है. जैसे झगड़े और टकरार को डीफ्यूज़ (शांत) करना, हिंसक परिस्थिति को टालना, अपरिहार्य स्थिति में किसी सुरक्षित जगह पर भागना और अपने आप को बचाना, हिंसक परिस्थिति में मदद के लिए पड़ोसी, बच्चों और दोस्तों को कोड वर्ड व इशारों से संकेत देना आदि.

2 लॉकडाउन के दौरान **संकट में फंसी महिलाओं और लड़कियों को मदद करने के लिए** सभी राज्यों के महिला **हेल्पलाइन नंबर्स** (जैसे 181, 103, 1090, 1091 इत्यादि) को **कार्यात्मक** और **उत्तरदायी** बनाना होगा. जिन राज्यों में हेल्पलाइन नंबर चालू नहीं है, वहां 100 के अलावा किसी अन्य नंबर को भी इस उद्देश्य के लिए सक्रिय किया जा सकता है.

3 वैकल्पिक तौर पर **व्हाट्सप्प द्वारा** अपनी **शिकायत दर्ज करने का** जो तरीका आयोग ने निकाला है उसका **आक्रामक प्रचार** करना होगा. इसके अलावा व्हाट्सप्प पर मदद मांग रही औरतों को मनोविज्ञानिक रूप से राहत देने के लिए **प्रायोरिटी रूटिंग** पर विचार किया जाना चाहिए ताकि हेल्पलाइन का **रेस्पॉन्स टाइम कम** किया जा सके.

4 **महिला हेल्पलाइन नंबर्स** और अन्य सहायक सेवाओं **की जानकारी प्रचारित करने के लिए** और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए **विज़ुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो और एसएमएस का सहारा** लेना होगा. ऐसा करने से महिला पीड़िताएं अपने-आप को अकेला महसूस नहीं करेगी और संकट की घड़ी में मदद मांगने के लिए उनके पास पर्याप्त जानकारी होगी.

5 **महिला हेल्पलाइन्स और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को वन स्टॉप सेंटर्स और उनके समान अन्य संगठनों से जोड़ना होगा** जो पीड़िताओं और उनके बच्चों को एमर्जेन्सी रिस्पांस और रेस्क्यू सेवाएं देने के साथ-साथ, यातायात की सुविधा, रहने के लिए आश्रय, हिंसा से सुरक्षा, लीगल ऐड, मेडिकल असिस्टेंस, सोशिओ-साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, स्वास्थ्य सहयोग और आर्थिक सहयोग जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराती है.

6 कई बार ऐसा देखा गया है कि घरेलु हिंसा की पीड़िताएं जब शारीरिक और मानसिक आघात से गुज़रती है, तो उन्हें आपातकालीन मेडिकल रिस्पांस की ज़रूरत होती है. कोविड-19 लॉकडाउन के समय ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाने से और सर्विस पास न होने के कारण वे **तत्काल मेडिकल सहायता और राहत लेने में** असमर्थ है. ऐसे में ज़रूरी है कि वन स्टॉप सेण्टर में निष्ठावादी और ट्रैनड डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाए, जो पीड़िताओं को ज़रूरत के समय **टेली-मेडिसिन और टेली-हेल्थ की सुविधा** प्रदान कर सकें. इससे वे महिलाएं भी इस सुविधा **का बखूबी फायदा** उठा पाएंगी जो दूर-दराज़ के क्षेत्रो में रह रही हैं और अस्पताल उनकी पहुँच से परे है.

7 कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान घरेलु हिंसा के चपेट में आई महिलाओं तक पहुँचने और उनकी मदद करने के लिए वीमेन एंड क्राइम थिंक-टैंक्स, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स और महिला एवं नागरिक समाज संगठनों को **सर्विस पास उपलब्ध कराया जाए.** इन पासेस के ज़रिये पीड़िताओं को लीगल ऐड, काउंसलिंग, पनाह और यातायात जैसी सेवाएं देने में अड़चनें नहीं आएगी.

Photo by Luke Jones on Unsplash

वीमेन एनजीओज़ के संपर्क में आई कई पीड़िताओं ने बताया कि महिला हेल्पलाइन नंबर से उन्हें कोई ख़ास मदद नहीं मिल रही[26]. इसके कई कारण है: पहला, हेल्पलाइन नंबर लगातार व्यस्त चलने के कारण कई बार दो-दो घंटो तक कॉल नहीं लग रहे. कुछ पीड़िताओं ने तो हेल्पलाइन नंबर के आउट-ऑफ़-रीच और उपलब्ध न होने की शिकायत भी करी. दूसरा, कॉल लगने पर कई तरह कि प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. जैसे कॉल का जवाब न मिलना, कॉल ड्राप हो जाना, कॉलर को मदद करने कि बजाय उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन पर कॉल करने की (या फिर जहाँ घटना घटित हुई वहां कॉल करने की) सलाह देना, तत्काल रेस्क्यू मदद मांगने पर कॉल को रिडिरेक्ट कर देना, कॉलर्स की जरूरतों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाना और उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाना. इन कारणों की वजह से पीड़िताओं को काफी निराशा[27] का सामना करना पड़ रह है. अतः महिला आयोग को टेलीकॉम ऑपरेटर्स से बात करके बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी चाहिए व महामारी की स्थिति में कॉलर्स की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हेल्पलाइन स्टाफ को वेबिनार के ज़रिये उचित ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करनी चाहिए.

8

घरेलु हिंसा संरक्षण कानून के अंतर्गत काम कर रहे देश के सभी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स (POs) को एमर्जेन्सी सर्विस ऑफिसर्स घोषित करना होगा और उन्हें सभी आवश्यक साधन और अधिकार देने होंगे, ताकि वे महिला पीड़िताओं को पुलिस से तुरंत मदद दिलवा सके और अन्य दूसरी सहायक सेवाओं से जोड़ सके. इसके साथ, **सभी (POs)** को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे हेल्पलाइन द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर **डोमेस्टिक इनफार्मेशन रिपोर्ट्स (DIR) दर्ज करें.**

image: Freepik.com

घरेलु हिंसा संरक्षण कानून के तहत एक प्रोटेक्शन अफसर (PO) का काम महिला पीड़ितों को पुलिस, कोर्ट्स और सहायता सेवा से जोड़ना है, लेकिन अधिकतर राज्यों में POs की कमी होने से या फिर उनका पार्ट-टाइम अपॉइंटमेंट[28] होने की वजह से पीड़िताओं को अपनी शिकायत (DIR) दर्ज करवाने में अनावश्यक देरी हो रही है. कई राज्यों में PO के स्थान पर नियमित भर्ती नहीं हुई है व दूसरों में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर को PO का एडिशनल चार्ज मिला हुआ है. अतः जब तक इस पद पर नियमित भर्ती नहीं होती, तब तक POs की अस्थायी रूप से नियुक्ति की जानी चाहिए. घरेलु हिंसा से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही लोकल एनजीओज़ की महिला प्रतिनिधियों को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि इस प्रकार के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए हर ज़िले में कम से कम एक PO उपलब्ध हो.

9

घरेलू हिंसा के गंभीर मामलों में, पुलिस और प्रोटेक्शन अफसर घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन करते हुए **हिंसक(कों) को उनके घर से दूर किसी वैकल्पिक स्थल पर भेजने**[29] का विचार कर सकते है, ताकि पीड़िताएं अपने बच्चों के साथ घर में सुरक्षित जगह पर रह सके. जिन पीड़िताओं ने दहेज़ और रंग रूप के भेदभाव की प्रताड़ना सही है, उन मामलों में यह संभव है कि हिंसक को इंस्टीटूशनल क्वारंटाइन करने से ससुराल का माहौल पीड़िता और उनके बच्चों के लिए विषैला बन जाए और उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न सहनी पड़े. इसीलिए जो पीड़िताएं हिंसा के डर से अपना घर छोड़ना चाहती है, उनको शेल्टर होम्स और यातायात की सुविधाएं देने की व्यवस्था करनी होगी.

10

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे **शेल्टर होम्स को** घरेलु हिंसा की शिकार हुई महिलाओं और उनपर निर्भर अन्य रिश्तेदार को (जो हिंसा की गिरफ़्त से बच निकले है या फिर खुद हिंसा से पीड़ित हुए है उन्हें) **पनाह देने का अधिकार देना होगा.** जो शेल्टर होम्स वर्तमान में कार्यात्मक है उनकी जानकारी सोशल मीडिया, मास मीडिया, सरकारी वेबसाइट्स और एसएमएस के जरिये लोगों तक पहुँचानी होगी. गौरतलब है कि कश्मीर वैली में घरेलू हिंसा कानून के अधीन कोई भी शेल्टर होम नहीं है. ऐसे में किसी, **होटल या महिला होस्टल को अस्थायी आश्रय** बनाकर पीड़िताओं को ठहरने के लिए वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाना चाहिए.

11

महामारी के समय ज़्यादा से ज़्यादा पीड़िताओं को आश्रय देने के लिए **शेल्टर होम्स की क्षमता बढ़ानी होगी.** जहाँ शेल्टर होम्स में रुक(वा)ने के लिए जगह नहीं है, वहां पीड़िताओं के लिए **वैकल्पिक आवास ढूंढने होंगे** और उन्हें **वहां रुकवाने का प्रबंध करना होगा.** टेम्परारी शेल्टर्स की व्यवस्था करते समय ये ध्यान रखना होगा कि पीड़िताओं व उनके बच्चों को सुरक्षा, खान-पान, यातायात, लीगल ऐड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, FIR/NCR/DIR दर्ज करने की मदद, और पुलिस एवं वकीलों से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये बात करने की सुविधा मिले. आयोग को ऐसा कदम उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार शेल्टर होम्स को भी एक तरह का 'रिलीफ मेज़र' ही माना गया है, जो पीड़िताओं को शीघ्र और समयोचित राहत दे सकता है.

12

जिन पीड़िताओं के मामले 24 मार्च, 2020 से पहले दर्ज हुए थे, उनको लॉकडाउन के दौरान शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी. इसके लिए कोर्ट्स द्वारा जारी किए गए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को लॉकडाउन के ख़त्म होने तक बढ़ाना होगा. कोरोना वायरस से संक्रमित **अन्य देशों ने पीड़िताओं के प्रोटेक्शन आर्डर को 60 दिन**[30] **तक बढ़ाने की व्यवस्था की है.**

13

लॉकडाउन की वजह से न्याय प्रणाली सुस्त पड़ गयी है जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट हियरिंग रद्द हो चुकी है और हिंसा के मामलों को स्थगित कर दिया गया है. ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया में विलंब हो रहा है और घरेलू हिंसा के दोषी दंड-मुक्त है. इसलिए ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी के इम्पैनल्ड लॉयर्स चल रहे मामलों में **टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये** पीड़िताओं के साथ **केस-डिस्कशन** करें और कोर्ट्स **वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग**[31] **द्वारा** इन **मामलों की सुनवाई** करें. यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडिशनल फंड का आवंटन होना चाहिए.

लॉकडाउन के दौरान घरेलु हिंसा पर लगाम लगाने के लिए लाने होंगे वित्तीय हस्तक्षेप

कोविड-19 की आंधी ने समाज के हाशिए पर रहने वाली घरेलु कामगार महिलाओं की रोज़गारी छीन कर उन्हें और भी बेबस बना दिया है. ऐसे में जो महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही थी (खासकर की जिनके मर्द या फिर घर के अन्य सदस्य मज़दूरी करके रोज़ी नहीं कमाते) उनके परिवार खाने की कमी से जूझ रहे है, जिससे घर में तनाव और अशांति का माहौल छाया हुआ है, और कई महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही है.

Photo by RiyaKumari from Pexels

खाद्य आधारित सुरक्षा

- जिन गरीब परिवारों के पास अब तक कोई राशन कार्ड नहीं था उन्हें खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए जिस तरह दिल्ली सरकार ने अस्थायी राशन कूपन सेवा शुरु की है उसी तरह अन्य राज्य सरकारों को भी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए यह योजना शुरु करनी होगी ताकि खाना न मिल पाने की व्याकुलता से उनके घरों में अशांति और झगड़े का माहौल न बने. अगर ये राशन एक बार में इकहट्टा दे दिया जाए तो और सुविधा जनक रहेगा और इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी. खास तौर पर वृद्ध, विकलांग और विधवा औरतों के लिए यह तरीका काफी लाभदायक रहेगा. इसके अलावा सरकार 2011 के पॉपुलेशन फिगर्स की बजाय 2020 के प्रोजेक्शन्स के आधार पर राशन वितरण[32] करे तो कई अज्ञात गरीब परिवारों को भी भूख से राहत मिल सकती है.

- दूरदराज एवं इमरजेंसी क्षेत्रों में (जहाँ खाने-पीने की वस्तुओं की जबरदस्त मांग है उधर) जल्द-से-जल्द राशन पहुँचाने के लिए रोड और कंटेनर मूवमेंट अनुकूल रहेगा. जिन क्षेत्रों में बाजार सेवा बाधित होने की वजह से खाने-पीने की चीज़ों की किल्लत आ पड़ी है, वहां प्री-पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी[33] अपनाई जानी चाहिए. इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर राशन को उन क्षेत्रों के ब्लॉक, हेडक्वार्टर्स या पंचायतों में स्टॉक किया जाए जहाँ भुखमरी की वजह से भयंकर मांग है (डिमांड हॉटस्पॉट्स!), तो वहां के लोगों की भोजन सम्बन्धी ज़रुरतों को तीव्रता से पूरा किया जा सकता है. यह तरीका काफी टार्गेटेड है और भेद्य समुदायों को एक आश्वासन और मनोविज्ञानिक आराम देगा.

- राशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को सिर्फ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए. उन्हें नेशनल "रूरल लाइवलीहुड्स मिशन" के तहत चल रहे सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को (अपने खर्चे पर) 'लास्ट माइल फ़ूड डिलीवरी'[34] करने की ज़िम्मेदारी देनी चाहिए. इससे समाज के उन समुदायों को भोजन सेवा उपलब्ध हो सकती है जो भेद्य एवं हाशिये पर होने की वजह से पीडीएस के कवरेज में शामिल नहीं है. ऐसा करने के लिए राज्य सरकार की कंसल्टेटिव कमीटीस, फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के साथ कोआर्डिनेट कर सकती है.

- सप्लाई चेन्स को वापस जोड़ने के लिए फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (FCI) व नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (NAFED) को साथ मिलकर काम करना होगा ताकि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गनाइज़ेशन (FPO) को क्रॉप खरीदने व ट्रांसपोर्ट करने में मदद मिल सके. उसी तरह, बीज, उर्वरक और पैकिंग का माल संचालन करने के लिए भी FCI एहम भूमिका निभा सकती है.

- खाद्य सामग्री के साथ, बीपीएल वर्ग के लिए एक फ़ूड बास्केट देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिसमे दाल, मसाले, चीनी, नमक, तेल, दवाइयां जैसी आवश्यक चीज़ें हों. उल्लेखनीय है कि ये स्कीम सबसे पहले केरल सरकार[35] ने लागू की थी. इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह था कि गरीब लोगों को राशन के अलावा छोटी-छोटी चीज़ें खरीदने के लिए घर से बहार न जाना पड़े और इससे कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने का खतरा भी कम हो जाए. आर्थिक रुप से भी यह स्कीम उन महिलाओं के लिए लाभप्रद है जो लॉकडाउन की वजह से अपना रोज़गार कमाने का अवसर खो चुकी है या फिर पगार न मिल पाने के कारण आर्थिक तनाव में है.

- इसके लिए एक स्पेशल टास्क फ़ोर्स[36] का गठन किया जाना चाहिए जिसमे तहसीलदार, यूनियन ट्रेड्स, एनजीओज़, हाउसिंग सोसाइटीज़, श्रम एवं रोज़गार विभाग और महिला कल्याण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हो. इस टास्क फ़ोर्स की निम्न ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए: शहरी और ग्रामीण इलाकों में रह रहे अज्ञात गरीब परिवारों की पहचान करना, उन्हें अस्थायी राशन कार्ड के लिए पंजीकृत करवाकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवरेज में शामिल करना, नियमित रुप से इन घरों में राशन सामग्री वितरण कर(वा)ना, राशन पहुँचाने वाली गाड़ियों का इंटर-स्टेट बॉर्डर्स पर बिना किसी दिक्कत या रोक टोक के आने-जाने का प्रबंध करवाना और गाड़ी में राशन भरवाने व उतरवाने के लिए पर्याप्त मज़दूरों को इकठ्ठा करना.

शर्तरहित कैश ट्रांसफर

- सरकार ने डायरेक्ट केश ट्रांसफर्स द्वारा जनधन खाताधारक महिलाओं को तीन महीने तक 500-500 रु. देने की जो योजना बनाई है वो औसत आकार के एक परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है. सरकार को केश ट्रांसफर की राशि 500 से बढ़ाकर 3000 रु[37]. करनी चाहिए, ताकि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक परेशानियों से गुजर रही महिलाएं अपना घर चला सके. इसके अलावा, पीएमजेडीवाय (PMJDY) लिस्ट की बजाय एमनरेगा(MNREGA) जॉब कार्ड को केश ट्रांसफर करने का आधार बनाना सही रहेगा[38]. क्योंकि MNREGA लिस्ट में विशेष तौर से गरीब घर है और ऐसे घरों की गिनती काफी व्यापक है. शोध[39] के मुताबिक PMJDY खाते जल्दबाजी में खुलाए गए थे, जिन में से कई खातों को तो निलंबित कर दिया गया है, कुछ खातें गलत आधार नंबर से जुड़े हुए है या फिर उन नंबर्स की सुचना खाताधारक को नहीं है. ऐसे में MNREGA लिस्ट काफी पारदर्शी, भरोसेमंद, परखी गई और प्रो-पुअर है. लेकिन अगर सरकार MNREGA लिस्ट को डायरेक्ट केश ट्रांसफर करने का आधार बनाती है, तो उसे शहरी इलाकों में इसके साथ PMJDY या फिर किसी और लिस्ट को शामिल करने का विचार भी करना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि MNREGA लिस्ट एक रूरल लिस्ट है और PMJDY में कई मिडिल क्लास घरों की महिलाएं भी शामिल है. इसका मतलब यह है कि सिर्फ PMJDY को केश ट्रांसफर्स का आधार बनाने से कई गरीब घरों को सरकार की राहत पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा.

- डायरेक्ट कॅश ट्रांसफर्स का फायदा जनधन खाताधारक महिलाओं के अलावा अनऑर्गनाइज़्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, 2008 के तहत पंजीकृत असंगठित मज़दूरों को भी मिलना चाहिए. इसके लिए सेंट्रल एवं स्टेट ट्रेड यूनियंस को नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर असंगठित मज़दूरों को पूर्वकथित कानून के अंदर पंजीकरण कराना होगा व सरकार को ऐसे मज़दूरों के लिए स्मार्ट, पोर्टेबल, इलेक्ट्रॉनिक चिप आधारित रजिस्ट्रेशन-कम-आइडेंटिटी कार्ड प्रदान करने होंगे[40]. ऐसा करने से कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, डोमेस्टिकेटेड वर्कर्स और अन्य कमज़ोर एवं भेद्य महिला वर्गों को भी सामाजिक संरक्षण मिलेगा.

प्रवासी श्रमिकों को MNREGA रोज़गारी

15 अप्रैल, 2020 को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक MNREGA के तहत कुछ कामों को अनुमति दी गई है. दरअसल, देश के कुछ कोनों में आंशिक तौर से लॉकडाउन हटने के बाद, कई प्रवासी कामगार अपने-अपने गांव पहुँच चुके है[41], और इससे नरेगा वेतन पर उनकी निर्भरता बढ़ गई है. उल्लेखनीय है कि MNREGA के तहत रोज़गारी करने वालों में महिलाओं की संख्या लगभग 54%[42] है. अतः इस मुश्किल समय में उनको आर्थिक मदद करने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे.

↗ तत्काल जॉब कार्ड

कोरोना संकट के समय जो लोग MNREGA से जुड़े काम करने की मांग कर रहे है, उन्हें आवेदन पत्र मिलने के **48 घंटे के भीतर जॉब कार्ड** प्राप्त करवाने की व्यवस्था करनी होगी. जिन श्रमिकों का जॉब कार्ड बिचौलियों के पास अटका हुआ है, उन्हें तत्काल रूप से जॉब कार्ड वापस जारी करना होगा.

↗वेतन में बढ़ोतरी

इस सकंट काल में गरीब परिवारों को प्रभावी रूप से सहयोग देने के लिए, **MNREGA श्रमिकों को** मिल रहा वेतन, **राज्य के एग्रीकल्चरल वेतन के बराबर करना होगा**[43]. हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य के चार ज़िलों के माइग्रेशन-प्रोन ब्लॉक्स में MNREGA के तहत अकुशल मेनुअल काम का न्यूनतम वेतन 207 रु प्रतिदिन[44] से बढाकर 298 रु[45] कर दिया है. दूसरे राज्य भी अपने गरीब क्षेत्रों में यह नीति लागू कर सकते है. इससे पहले केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत MNREGA वेतन में 20 रु की बढ़ोतरी का एलान किया था.

↗काम के दिनों की संख्या करें दुगनी

गरीब क्षेत्रों में आय के स्त्रोत सीमित होने की वजह से, कोरोना संकट काल में हर व्यक्ति को **सालाना 100 दिन की बजाय 200 दिनों की कार्य गारंटी** देने होगी. जहाँ हाल ही में उड़ीसा सरकार ने ये साहसिक कदम उठाया है, हमारा मानना है कि इस नीतिगत बदलाव से विशेष तौर पर उन किसानों को राहत मिल सकती है, जो आदिवासी बेल्ट में रहते हैं और जहाँ अधिक माइग्रेशन कि वजह से किसानों के पास खुद की ज़मीन नहीं है.

Photo by Roxanne Shewchuk from Pexels

Photo by Kelly Lacy from Pexels

↗श्रमिकों को जल्द भुक्तान

ऐसा देखा गया है कि MNREGA श्रमिकों को वेतन भुगतान करने में अक्सर कई हफ्ते या फिर महीनों तक लग जाते है[46]. जहाँ कोरोना संकटकाल में गरीबों को तत्काल पैसे की दरकार है, वहाँ भुगतान में देरी का मतलब श्रमिकों को आर्थिक तंगी और भुखमरी की मुँह में धकेलना है. इसलिए MNREGA लागू करने वाली सभी एजेंसीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंचायतों के पास करीबन **20 लाख का रिवॉल्विंग फण्ड** उपलब्ध हो[47]. इससे दूरदराज़ क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों को कैश में पैसे दिए जा सकते हैं और उसी दिन भुगतान किया जा सकता है. इसके अलावा, अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों को (इस फंड से) मस्टर रोल्स के सबमिट होने के एक हफ्ते के अंदर भुक्तान हो सकता है.

↗कार्य योजनाओं में विस्तार

वर्तमान में हर एक पंचायत में सिर्फ 2 से 3 MNREGA सम्बन्धी काम योजनाएं चल रही है, जिससे कार्य क्षेत्रों में श्रमिकों की भीड़ जमा हो रही है, और कोरोना संक्रमण फैलने का जोख़िम भी बढ़ रहा है. इसे रोकने और घर परिवार के सभी लोगों को रोज़गारी के अवसर प्राप्त करवाने के लिए **हर एक गांव में कम से कम 6 से 8 काम MNREGA[48] सम्बन्धी काम योजनाएं शुरू करनी होगी** व कार्य क्षेत्रों में श्रमिकों को मास्क, सैनिटाइज़र और स्वच्छ पानी प्राप्त करवाना होगा. साथ ही साथ, काम वितरण करने वाले MNREGA अधिकारीयों को यह विशेष ध्यान रखना होगा कि श्रमिकों द्वारा सोशल डिस्टन्सिंग नियमों का सख्त पालन किया जाए और इसको लेकर औरतों को किसी भी तरह का भेदभाव (जैसे उन्हें कमज़ोर बताकर रोजगारी न देना आदि) नहीं सहना पड़े.

↗बजट बढ़ाने पर ध्यान

जैसे-जैसे प्रवासी कामगार अपने गांव लौटेंगे, वैसे-वैसे स्थानीय स्तर पर MNREGA रोज़गारी की मांग भी बढ़ेगी. ऐसे में केंद्र ने FY 2020-21[49] में MNREGA स्कीम के ओर 61,500 करोड़ का जो बजट आवंटन किया है, वो हज़ारों प्रवासी श्रमिकों की रोज़गार मांगों को पूरा करने में प्रयाप्त नहीं होगा. अतः **सरकार से अपेक्षित है कि वे MNREGA में 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त आवंटन करे.** गौरतलब है कि कई मशहूर अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस सुझाव का समर्थन किया है.

↗वितरण कार्यविधि में मज़बूती

लॉकडाउन की स्थिति में MNREGA दफ्तरों/विभागों का काम करना बेहत ज़रूरी है क्यूंकि जब से यह प्रतिबन्ध लगाया गया है, सरकार की कार्यप्रणाली का ध्यान लोगों को राहत दिलाने की ओर खींच चुका है. अतः रोज़गारी की मांग पूरी करने व श्रमिकों का वेतन भुगतान करने के लिए ज़रूरी है कि **MNREGA लागू कर रहे अधिकारी और विभाग तालाबंदी की समय भी काम करें.** इसके लिए इन दफ्तरों में मास्क, सैनिटाइज़र, स्वच्छ पानी, साबुन आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए.

Photo by Samarth Singhai from Pexels

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ब्याज माफ़

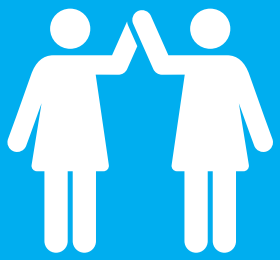

- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी महिलाओं के लिए दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत जो जमानत फ्री लोन दुगना बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, वो काफी नहीं है. सरकार को यही लोन मुफ्त में देने का उपाय[50] ढूंढना होगा, ताकि जो महिलाएं लॉकडाउन की वजह से रोज़गारी खो चुकी है और अत्यंत गरीबी में समय बिता रही है, उन्हें इस राशि का कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़े. इसके अलावा, देनदारों को ईएमआई के भुगतान में तीन महीने की रियायत दिए जाने के लिए सरकार ने जो घोषणा की है, उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा लिए गए लोन्स पर भी लागू किया जाए और रियायत के समय संचित हुई ब्याज राशि को माफ़ किया जाए. कोरोना संकट टलने तक ऐसा करना अत्यंत जरूरी है क्योंकि देश की करीबन 600 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से छोटा-मोटा व्यापर कर रही है (जिससे उनका घर चलता है) और अगर लोन पर ब्याज माफ़ नहीं किया गया और अतिरिक्त ईएमआई के रूप में ये ब्याज वसूल किया गया, तो, आय से प्रभावित इन महिलाओं पर दोहरा बोझ पड़ जायेगा और उनके घर में आर्थिक तनाव की वजह से घरेलु हिंसा की संभावना बढ़ेगी.

निर्माण श्रमिक कल्याण के लिए सेस फंड का उपयोग

- कोरोना महामारी की वजह से आय के स्त्रोत खो बैठे पुरुष और महिला श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइज़री का राज्य सरकारों द्वारा सख्त पालन होना चाहिए. गौरतलब है कि राज्यों के पास कंस्ट्रक्शन सेस फंड के रूप में 52 हज़ार करोड़ रुपये जमा है[51] और काफी समय से कंस्ट्रक्शन सेस की रकम का इस्तेमाल नहीं हुआ है. ऐसे में श्रम मंत्रालय ने बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस फंड एक्ट,1996 के सेक्शन 60 का आह्वान करके सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को अपील की थी कि वे कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड 3.5 करोड़ निर्माण मज़दूरों को सेस के पैसे से राहत पहुंचाए.

- जहाँ 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब तक 2 करोड़ निर्माण मज़दूरों को 3 हज़ार करोड़ रुपए बांटे जा चुके है[52], वहीँ अपंजीकृत श्रमिकों को इस फंड से राहत दिलवाने के लिए राज्य सरकारों को एक ऑनलाइन पोर्टल लांच करके नए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और ज्यादा से ज्यादा मज़दूरों तक इस पोर्टल की जानकारी फैलाने के लिए वेबसाइट लिंक का प्रचार करना होगा. इसके साथ ट्रेड यूनियंस और बिल्डर से प्रमाणित श्रमिकों के डाक्यूमेंट्स 24 घंटे के भीतर वेरीफाई करके उन्हें एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक प्राप्त करवाने का नियम बनाना होगा. ये नियम दिल्ली सरकार[53] ने हालही में लागू किया है ताकि लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में उन सभी निर्माण श्रमिकों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सुविधा से मदद मिल सके जिन्हे दिल्ली सरकार एक्स-ग्रेशिया पेमेंट के पहले राउंड में शामिल नहीं कर सकी. साथ ही साथ, श्रम मंत्रालय को ये भी मॉनिटर करना होगा कि मदद की राशि श्रमिकों का घर खर्चे चलाने के लिए पर्याप्त हो (केंद्र के निर्देशानुसार राहत राशि 1000 रु से लेकर 5000 के बीच हो सकती है). ऐसा करने से कई महिला श्रमिकों को आर्थिक तनाव और भुकमरी के चलते हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

एमरजेंसी फंड व हेल्पलाइन नंबर स्थापित करना ज़रूरी

- कोविड-19 में जो नुकसान असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं की हुई है, उससे तत्काल राहत के लिए राज्य स्तर पर एक अस्थायी अनएम्प्लॉयमेन्ट अलावेंस फण्ड का गठन करना होगा, जिसमे सभी विधायकों को मिले डेवलपमेंट व इमरजेंसी फंड से भी योगदान लिया जा सकता है. इसके लिए केंद्र सरकार को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और चीफ़ सेक्रेटरीज़ को निर्देश देने होंगे. जो महिलाएं असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंदर रजिस्टर्ड श्रमिक है और जिन्हें अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किसी भी तरह की आर्थिक राहत नहीं मिल रही, उन महिलाओं को इस फंड से हर महीने 3000 रु देने की व्यवस्था करनी होगी. ये सहयोग राशि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिये उनके बैंक खातों में डालना उचित रहेगा.

- डॉमेस्टिक वर्कर्स, व्यावसायिक सेक्स वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और इसके समान अन्य व्यवसायों से जुड़ी जितनी भी महिलाएं आज तारीख 'असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून' के अंदर पंजीकृत नहीं है, उन्हें जिला डिष्टी कमिश्नर के ऑनलाइन सर्विस पोर्टल में रजिस्टर[54] कराने की पहल करनी होगीं. इस दौरान उनके बैंक खातों को भी लिंक किया जाना चाहिए. रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेरिफिकेशन के तुरंत बाद उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चाहिए (जोकि आधार कार्ड की तरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मे हो तो बेहतर होगा) ताकि रजिस्ट्रेशन कार्ड बनने तक उन्हें इंतज़ार न करना पड़े और वे जल्द से जल्द 3000 रु की राहत राशि प्राप्त कर सके.

- दरअसल, ऐसा संभव है कि असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही कुछ महिलाओं के पास बैंक खाता न हो. ऐसे में उन महिलाओं को सरकार द्वारा 10 रु, 20रु, 50रु, 100रु और 500रु के करेंसी कूपन प्रदान किए जाने चाहिए, जिसे पैसे की भाँती उपयोग करके वे ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके. इसके अलावा, विक्रेताओं को कूपन स्वीकार करने का आदेश देना होगा और उन्हें पैसों में एक्सचेंज करने के प्रोसीजर की भी जानकारी देनी होगी. करंसी कूपन देने से राहत राशि को शराब पर नष्ट करने से रोका जा सकता है.

- लॉकडाउन में भूखी बिलख रही औरतों (और उनके परिवारों) को पहचानने के लिए जल्द-से-जल्द एक एमर्जेन्सी हेल्पलाइन[55] स्थापित करनी होगी तथा सोशल मीडिया, मास मीडिया, और एफएम रेडियो के ज़रिये इसका प्रचार करना होगा. इस हेल्पलाइन की मदद से कई गरीब परिवारों को नज़दीकी रिलीफ सेंटर्स द्वारा खाने-पीने और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जिनकी अज्ञात जगहों पर रहने की वजह से पहले पहचान नहीं हो पाई. उल्लेखनीय है कि उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान की ग्राम पंचायतों ने 2015 तक ऐसी बहुमूल्य स्कीम्स चलाई थी जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों का पेट भरने के लिए 'राजकीय एमरजेंसी फण्ड' का उपयोग कर फीडिंग सेंटर्स/कम्युनिटी किचन बनवाए गए थे. इसी मॉडल का उपयोग करके सरकार रिलीफ सेंटर्स को एमर्जेन्सी हेल्पलाइन[56] से जोड़ सकती है और भूख से तड़प रही महिलाओं (और उनके परिवार वालों) को तुरंत एवं बेशर्तीय मदद पहुंचा सकती है. जो कामगार महिलाएं पगार न मिलने की वजह से घर का किराया नहीं भर पा रही है, और विवश होकर अपने परिवार के साथ अज्ञात जगहों पर रह रही है, उनके लिए एमर्जेन्सी हेल्पलाइन स्कीम और भी लाभदायक साबित होगी.

महिलाओं के हितों की उन्नति के लिए बेहतर समवन्य ज़रूरी

↗ कोरोना महामारी ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की स्थिति और भी दयनीय बना दी है. सैनिटेशन, सीवरेज और साफ़ पानी उपलब्ध न होने के कारण वहाँ रह रहे लोगों को कोरोना संक्रमित होने की सम्भावना बढ़ गई है[57]. झुग्गी-झोपड़ियों में अतिप्रजन और भीड़-भाड़ होने से "सोशल-डिस्टैन्सिंग" बनाए रखना नामुमकिन हो गया है. कोरोना के इस अनिश्चित समय में बस्ती के लोग बेचैन हो रहे है जिससे घर में अशांति का माहौल पैदा हो रहा है. लम्बे समय तक कचरा पड़े रहने से उन क्षेत्रों में गंदगी फैलना और बदबू आना आम बात है. झुग्गी-झोपड़ियों में सफाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार को **स्वच्छ भारत मिशन के तहत** वहां की **महिलाओं को** हर महीने एक **हाइजीन किट सप्लाई** करनी चाहिए जिसमे डिटर्जेंट, हैंड-सेनिटाइज़र, एंटी बैक्टीरियल साबुन, टूथ पेस्ट, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, सेनेटरी नैपकिन्स और स्वच्छता के लिए अन्य ज़रूरत सामान उपलब्ध हो. इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए **बस्तियों में नियमित तौर से** उन्हें **साफ़ पानी** पहुँचाना होगा, **कचरा उठाने की व्यवस्था** करनी होगी **और** समय-समय पर **सेनिटाईज़ेशन ड्राइव** की व्यवस्था करनी होगी. इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि सरकार शहर की **झुग्गी-झोपड़ियों की पहचान** करे, जोकि आइडेंटीफाइड और रेकग्नाइज़्ड स्लम्स के रुप में साल 2011 के सेन्सस सर्वे में सूचीबद्ध है.

Photo by Roxanne Shewchuk from Pexels

↗ ग़रीब घरों में शांति बनाए रखने के लिए उनके ख़र्चों का भार कम करना ज़रूरी है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना व प्रधान मंत्री जन धन योजना में पंजीकृत लोगों को सरकार ने **3 मुफ्त सिलिंडर**[58] देने की जो व्यवस्था की है, कुछ उसी तरह **की योजना बीपीएल वर्ग के लोगों के लिए भी लागु** करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवारों को इसका फायदा मिल सके. आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए दिल्ली सरकार का उदाहरण लेकर **देश के समस्त घरों में प्रति माह 200 यूनिट्स तक**[59] **बिजली का बिल माफ़** करने की नीति लाइ जा सकती है और सभी राज्यों की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस नियम का पालन करने हेतु आदेश जारी किया जा सकती है. इससे बीपीएल वर्ग और किराये पर रह रही प्रवासी कामगार महिलाओं को बिजली खर्च से राहत मिल सकती है. जो घर का किराया देने में असमर्थ है उनके लिए सरकार **तीन से पांच माह तक किराया देने की मोहलत** का ऑर्डर निकाल सकती है. साथ ही इन निर्देशों को दंडनीय बनाना होगा ताकि मकान मालिक अपने किरायदारों से किराया वसूलने की ज़बरदस्ती ना करें.

↗ ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा गया है कि अधिकतर मज़दूर अपने वेतन का मुख्य भाग शराब पर लुटा देते हैं. जिस वजह से उनके परिवार में आर्थिक तंगी का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता. इसके अलावा, नशे में दूत हो कर वे अपनी पत्नियों पर हिंसा भी करते है. कोविड-19 जैसी समस्याग्रस्त स्थिति में शराब की अभिगम्यता महिलाओं के हित में नहीं है. इसीलिए **लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने शराब की बिक्री** की जो मंज़ूरी दी है, उस आदेश को बदल कर शराब के धंधे **पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा.**

↗ मिड डे मील स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किये किए नोटिस का सख्त पालन होना चाहिए. जितना हो सके उतना होम डिलीवरी के ज़रिये विद्यार्थियों को मिड डे मील वितरण किया जाए. इसके लिए शिक्षकों, खाना बनाने वालों और अन्य सहायकों की मदद ली जानी चाहिए. जिन राज्यों तथा जिलों में कर्फ्यू बंधन नहीं है, वहां विद्यार्थियों के माता पिता को बुलाकर खाने के पैकेट दिए जाने चाहिए. जहाँ बना हुआ खाना नहीं दिया जा सकता वहां (60 दिन तक) विद्यार्थियों को मिड डे मील राशन व खाना बनाने का खर्चा देने की व्यवस्था की जाए. इन दोनों विकल्पों की गैर मौजूदगी में, डायरेक्ट केश ट्रांसफर द्वारा सभी बच्चों को आर्थिक सहयोग देने का प्रबंध किया जाना चाहिए (प्राइमरी स्टूडेंट्स को 500 रु व अप्पर प्राइमरी को 700 रु).यह आर्थिक सहयोग 60 दिनों के लिए होगा और हो सके तो इसको एक ही बार में देने की कोशिश की जाए. पर्याप्त नुट्रिशन न मिलने से कोरोना संकट के समान मालनरिशमेंट के खतरे का साया छोटे बच्चों और दूध पिलाने वाली औरत पर न मंडराए, (और खाना न मिलने की वजह से घर में तनाव और अशांति की स्थिति उत्पन्न न हो) इसलिए **मिड डे मील स्कीम को जारी रखना महत्वपूर्ण है.**[60]

↗ लॉकडाउन के दौरान सरकार ने तीन महीने तक कर्मचारियों को **एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड** योगदान देने की जो पहल की है, उसका **लाभ** (जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक जजमेंट[61] के अनुसार) **नियमित अनुबंध कर्मचारियों और कांट्रेक्टर के ज़रिये नौकरी पर लगे कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए.** जो कांट्रेक्टर अपने कर्मचारियों को वेतन देने के बहाने मुख्य नियोक्ताओं से मोटी रकम उठा रहे है, और उन पैसों को वर्कर्स के खाते में नहीं डाल रहे, उनके विरुद्ध एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए. इसके अलावा, सरकार को SIDBI के ज़रिये नियोक्ताओं पर दबाव बनाना होगा ताकि, अनुबंध कर्मचारिओं एवं कांट्रेक्टर के ज़रिये नौकरी पर लगे कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल सके. ऐसा करने से MSME कम्पनीज़ में काम कर रही महिलाओं की आय पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और घर में तनाव भरा माहौल नहीं बनेगा.

↗ कोरोना महामारी की वजह से घरेलु कामगार महिलाओं की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि लॉकडाउन खुलने के बाद, उनके पास नए घरों में काम ढूंढने व अपनी मज़दूरी करने के लिए बस या मेट्रो से आने-जाने तक के पैसे नहीं होंगे. ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार, ट्रेड यूनियंस और लोकल एनजीओज़ के साथ मिलकर एक **राष्ट्रीय अभियान चलाए** जहाँ **घरेलु कामगार महिलाओं और नियोक्ताओं के बीच विश्वास, सम्बन्ध और आपसी ताल मेल** बनाया जा सके. इस अभियान के माध्यम से घरेलू कामगार महिलाएं अपनी **आर्थिक पीड़ा का व्याख्यन** कर सकेंगी और घरेलु नियोक्ताओं से एक महीने की **एडवांस पगार** लेकर काम करने **की संभावना पे चर्चा कर पाएंगी.**

Photo by StockSnap from Pexels

महिला हिंसा पर कोविड -19 का प्रभाव समझने और उससे निपटने की अनुक्रिया योजना बनाने के लिए डेटा कलेक्शन

- कोविड-19 के दौरान जो महिलाएं घरेलू हिंसा से राहत पाने के लिए **महिला हेल्पलाइन** पर मदद मांग रही है, उन **कॉल्स की इनफार्मेशन कलेक्ट**[62] **करके** उन्हें सार्वजनिक करना होगा. **इस तरह** हम पीड़िताओं की विविध ज़रूरतों को समझ सकते है, और उनकी उभरती मांगों का प्रभावशाली जवाब देने के लिए **हेल्पलाइन सेवाओं की प्रचुरता, अनुक्रियशीलता और कार्य क्षमता बढ़ा सकते है.** ऐसा करने के लिए पीड़िताओं की आवश्यकताओं का व हेल्पलाइन रेस्पॉन्स का डेटा काफी मूल्यवान साबित होगा. यही **डेटा** अगर **सेक्स डिस-अग्ग्रीगेटेड फॉर्म में कलेक्ट किया जाए** तो दोनों महिलाओं व पुरुषों की शिकायतों की विविध एवं जटिल प्रकृति को समझा जा सकता है और उनकी जरूरतों के मुताबिक उचित प्रतिक्रिया तय की जा सकती है.

- हेल्पलाइन सेवाओं को महिला पीड़िताओं के लिए संतोषजनक बनाने और उनके खिलाफ हिंसा के खतरे को कम करने के लिए हमें **घटना स्थल**[63] **और घरेलू हिंसा की गतिकी का डेटा भी कलेक्ट करना होगा.** ऐसा करने से घरेलु हिंसा के हॉटस्पॉट्स पेहचाने जा सकते है और उन इलाको में उचित इंटरवेंशन करने हेतु प्रबंध कर सकते है.

- इसके अतिरिक्त प्रोटेक्शन ऑफिसर्स (PO) और पुलिस द्वारा दर्ज की गई घरेलु हिंसा की शिकायतों का डेटा कलेक्ट करना होगा और उसका आयोग के हेल्पलाइन एवं ऑनलाइन कंप्लेंट डेटा के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करना होगा. ऐसा करने से लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की **शिकायतों का डोमेस्टिक इनफार्मेशन रिपोर्ट (DIR) में कन्वर्शन रेट** मालूम कर सकते है और साथ-ही-साथ सभी **फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स** (जैसे हेल्पलाइन व ऑनलाइन कंप्लेंट अटेंडेंट, PO, पुलिस ऑफिसर्स आदि) का **इन घटनाओं व पीड़िताओं के प्रति रवैये** का पता चल सकता है - खास करके पीड़िताओं का अपनी शिकायतों को लेकर फर्स्ट-रेस्पॉन्डर्स से संतुष्टि स्तर.

- इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि डेटा कलेक्शन के प्रयास पीड़िताओं को किसी तरह के संकट या हिंसा के जोखिम में न डाले.

समाधान व बहाली योजना बनाने के लिए महिला एवं अपराधिक न्याय विचारक समूहों को नीति-निर्माण प्रक्रिया में करें शामिल

Photo: CCPP, India

1. महिला अधिकार संरक्षण तथा **महिला एवं आपराधिक न्याय** क्षेत्रों में काम कर रहे **संगठनों और अनुसंधान केंद्रों को** (खासकर की वो जो दूर-दराज क्षेत्रों में कमज़ोर और असहाय लोगों की मदद करते है जिनका पता लगाना या फिर उन तक पहुँचना भी मुश्किल है उन्हें) सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से **आर्थिक सहयोग**[64] मिलना चाहिए ताकि वे घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पनाह, लीगल ऐड, काउंसलिंग, नर्सिंग, हाइजीन और मेडिकल से जुडी सेवाएं देते रहे.

2. **घरेलू उत्पीड़न के खिलाफ पक्ष-समर्थन कर रही संगठनों को** (ख़ास करके जो फील्ड प्रैक्टिस और नीति-सम्बन्धी अनुसन्धान से जुड़े है) उन्हें **आयोग की निर्णय-प्रक्रिया में शामिल** करना होगा ताकि लॉकडाउन के दौरान हिंसा में झुलस रही पीड़िताओं की जरूरतें और चिंताएं पहचानी जा सके और इस समस्या से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई जा सके.

3. लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं को रोकने के **दीर्घावधि समाधान** और इस समस्या से उभरने के **रिकवरी प्लान्स विकसित करने के लिए** भी उपयुक्त **संगठनों की भूमिका पर विचार** किया जाना चाहिए.

4. लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को घरेलु हिंसा से बेहतर सुरक्षा देने के लिए महिला आयोग को **विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ** भी **समवन्य, सहयोग, सहकार्यता और संप्रेक्षण** स्थापित करना होगा.

Footnotes

[1]Center for Criminology & Public Policy is a criminal justice think-tank based in Rajasthan. Access more information about the Center here: http://ccppindia.org/

[2]100-120 million jobs lost due to COVID-19 lockdown, IndiaSpend, 20 April 2020. Retrieved from: https://www.indiaspend.com/100-120-million-jobs-lost-due-to-covid-19-lockdown/

[3]Domestic Violence on rise in lockdown period: NCW, Deccan Herald, 17 April 2020. Retrieved from: https://www.deccanherald.com/national/domestic-violence-on-rise-in-lockdown-period-ncw-826498.html

[4]Domestic Violence on rise in lockdown period: NCW (n 3).

[5]Reasons for reporting and not reporting domestic violence to the police, Wiley Online Library, 07 March 2006. Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-9125.2002.tb00968.x

[6]How social stigma silences domestic violence victims, Psychology Today, 09 April 2020. Retrieved from: https://www.psychologytoday.com/us/blog/why-bad-looks-good/201804/how-social-stigma-silences-domestic-violence-victims

[7]Addressing Domestic Violence: A forgotten agenda while locking down, Observer Research Foundation, 08 April 2008. Retrieved from: https://www.orfonline.org/expert-speak/addressing-domestic-violence-a-forgotten-agenda-while-locking-india-down-64301/

[8]Addressing Domestic Violence: A forgotten agenda while locking down (n 7)

[9]COVID-19 and violence against women What the health sector/system can do, 2020, World Health Organization. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf

[10]A parallel pandemic as domestic abuse victims trapped with their abusers, The Hindu, 20 April 2020. Retrieved from https://www.thehindu.com/society/covid-19-lockdown-domestic-abuse-victims-trapped-with-abusers/article31388228.ece

[11]A parallel pandemic as domestic abuse victims trapped with their abusers (n 10)

[12]From Global Coordination to Local Strategies: A practical approach to prevent, address and document domestic violence under Covid-19, 2020, Women Enabled International. Retrieved from: https://womenenabled.org/blog/wp-content/uploads/2020/04/MADRE-Domestic-Violence-Under-COVID-19-Briefing-Paper-4-21-2020.pdf

[13]No lockdown for abuse, The Hindu, 09 April 2020. Retrieved from: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-lockdown-for-abuse/article31292334.ece

[14]From Global Coordination to Local Strategies: A practical approach to prevent, address and document domestic violence under Covid-19 (n 12)

[15]Covid-19 and Ending Violence against Women and Girls, 2020, UN Women. Retrieved from: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006

[16]Covid-19 and Ending Violence against Women and Girls (n 15)

[17]Why stigma against victims of domestic violence persists in Indonesia, The Conversion, 22 September 2018. Retrieved from: https://theconversation.com/why-stigma-against-victims-of-domestic-violence-persists-in-indonesia-103177

[18]Religion: Why faith is becoming more and more popular, 27 August, 2018, The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/news/2018/aug/27/religion-why-is-faith-growing-and-what-happens-next

[19]Coronavirus Crisis: No lockdown for domestic violence, Deccan Herald, 26 April 2020. Retrieved from: https://www.deccanherald.com/specials/insight/coronavirus-crisis-no-lockdown-for-domestic-violence-829941.html

[20] Twelve years since the Domestic Violence Act, how well do protection officers help women in need?, Scroll.in, 11 May 2020. Retrieved from: https://scroll.in/article/830882/twelve-years-since-the-domestic-violence-act-how-well-do-protection-officers-help-women-in-need

[21]Twelve years since the Domestic Violence Act, how well do protection officers help women in need? (n 20)

[22]Twelve years since the Domestic Violence Act, how well do protection officers help women in need? (n 20)

[23]Covid-19 and Ending Violence against Women and Girls (n 15)

[24]Urgent Recommendations on addressing Domestic Violence during Covid-19 Pandemic, 2020, Jagori. Retrieved from: http://www.jagori.org/sites/default/files/publication/Recommendations%20to%20NCW%20on%20Responding%20to%20Domestic%20Violence%20During%20Covid-19_Aman%20Network.pdf

[25]Protecting children from domestic abuse, NSPCC Learning, 27 March 2020. Retrieved from: https://learning.nspcc.org.uk/child-abuse-and-neglect/domestic-abuse#heading-top

[26]Unhelpful helplines in times of COVID-19, The Week, 30 April 2020. Retrieved from: https://www.theweek.in/news/india/2020/04/30/unhelpful-helplines-in-times-of-covid-19.html

[27]Unhelpful helplines in times of COVID-19 (n 26)

[28]Twelve years since the Domestic Violence Act, how well do protection officers help women in need? (n 20)

[29]Covid-19 and Ending Violence against Women and Girls, 2020 (n 15)

[30]Covid-19 and Ending Violence against Women and Girls (n 15)

[31]HC to hold proceedings through videoconferencing, The Hindu, 19 April 2020. Retrieved from: https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/hc-to-hold/article31383899.ece

[32]View: The finance minister's Covid-19 relief package is helpful, but there are gaping holes in it, The Economic Times, 28 March 2020. Retrieved from: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/view-the-finance-ministers-covid-19-relief-package-is-helpful-but-there-are-gaping-holes-in-it/articleshow/74853103.cms

[33]A grain stockist with a role still relevant, The Hindu, 05 May 2020. Retrieved from: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-grain-stockist-with-a-role-still-relevant/article31504557.ece

[34]A grain stockist with a role still relevant (n 33)

[35]Covid-19 lockdown: In a first, Kerala to home deliver food kits to the poor, Livemint, 25 March 2020. Retrieved from: https://www.livemint.com/news/india/covid-19-lockdown-in-a-first-kerala-to-home-deliver-food-kits-to-the-poor-11585120043592.html

[36]Coronavirus lockdown| Unorganised labourers need two kinds of cover: union organisation and legal, says labour expert, The Hindu, 15 April 2020. Retrieved from: https://www.thehindu.com/news/national/coronavirus-unorganised-labourers-need-two-kinds-of-cover-union-organisation-and-legal-says-labour-expert/article31347667.ece

[37]Not Rs 500, India's poor need at least Rs 3000 a month: George Mason University Researchers, Bloomberg Quint, 11 April 2020.

Retrieved from: https://www.bloombergquint.com/coronavirus-outbreak/not-rs-500-indias-poor-need-at-least-rs-3000-a-month-george-mason-university-researchers

[38]View: The finance minister's Covid-19 relief package is helpful, but there are gaping holes in it (n 32)

[39]View: The finance minister's Covid-19 relief package is helpful, but there are gaping holes in it (n 32)

[40]Coronavirus lockdown| Unorganised labourers need two kinds of cover: union organisation and legal, says labour expert (n 36)

[41]Can MGNREGA be the answer to rural distress caused by Covid-19, Down to Earth, 13 April 2020. Retrieved from: https://www.downtoearth.org.in/blog/water/can-mgnrega-be-the-answer-to-rural-distress-caused-by-covid-19-70417

[42]Economic Survey 2018: More women than men take benefit of MNREGA, still remain 'most disadvantaged', Money Control, 29 January 2018. Retrieved from: https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/economic-survey-2018-more-women-than-men-take-benefit-of-mnrega-still-remain-most-disadvantaged-2493781.html

[43]Govt. may raise minimum wage for MGNREGA workers, 26 September 2018. Retrieved from: https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/govt-may-raise-minimum-wage-for-mgnrega-workers/story/281560.html

[44]Govt. may raise minimum wage for MGNREGA workers (n 44)

[45]How NREGA can help Rural Areas in Times of Covid-19 Distress, The Quint, 12 May 2020. Retrieved from: https://www.thequint.com/news/india/how-nrega-can-help-rural-areas-in-times-of-covid-19-distress

[46]Can MGNREGA be the answer to rural distress caused by Covid-19 (n 42)

[47]How NREGA can help Rural Areas in Times of Covid-19 Distress (n 46)

[48]How NREGA can help Rural Areas in Times of Covid-19 Distress (n 46)

[49]Can MGNREGA be the answer to rural distress caused by Covid-19 (n 42)

[50]Coronavirus| Women's rights group seeks interest-free loans for women in SHGs, The Hindu, 11 April 2020. Retrieved from: https://www.thehindu.com/news/national/womens-rights-group-seeks-interest-free-loans-for-women-in-shgs/article31319749.ece

[51]Use 52000cr cess fund to help labourers, The Times of India, 25 March 2020. Retrieved from: https://timesofindia.indiatimes.com/india/use-52000cr-cess-fund-to-help-labourers/articleshow/74801875.cms

[52]Rs 3000 crore given to 2 crore registered construction workers: MHA, Economic Times Rise, 09 April 2020. Retrieved from: https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/productline/building-materials/rs-3000-crore-given-to-2-crore-registered-construction-workers-mha/articleshow/75060935.cms?from=mdr

[53]Lockdown: Delhi govt to give Rs 5000 in aid to construction workers, The Economic Times, 11 May 2020. Retrieved from: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/lockdown-delhi-govt-to-give-rs-5000-in-aid-to-construction-workers/articleshow/75674054.cms?from=mdr

[54]UP to Kerala: How states are helping the poor amidst coronavirus outbreak, Business Standard, 24 March 2020. Retrieved from: https://www.business-standard.com/article/current-affairs/up-to-kerala-how-states-are-helping-the-poor-amidst-coronavirus-outbreak-120032400344_1.html

[55]No lockdown for abuse, The Hindu, 09 April 2020. Retrieved from: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-lockdown-for-abuse/article31292334.ece

[56]View: The finance minister's Covid-19 relief package is helpful, but there are gaping holes in it (n 32)

[57]Hand washing to stop coronavirus- 78% of toilets in Mumbai slums lack reliable water supply, The Print, 16 April 2020. Retrieved from: https://theprint.in/opinion/hand-washing-to-stop-coronavirus-78-of-toilets-in-mumbai-slums-lack-reliable-water-supply/402590/

[58]Ujjwala beneficiaries entitled to 3 free LPG cylinders under PM GaribKalyanYojna, can avail free cylinders upto March 2021, Energyworld.com, 09 April 2020. Retrieved from: https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/ujjwala-beneficiaries-entitled-to-3-free-lpg-cylinders-under-pm-garib-kalyan-yojana-can-avail-free-cylinders-up-to-march-2021/74929070

[59]Delhi govt's free electricity scheme on example of smart governance: ArvindKejriwal, India Today, 10 October 2019. Retrieved from: https://www.indiatoday.in/india/story/delhi-govt-free-electricity-scheme-example-smart-governance-arvind-kejriwal-1608003-2019-10-10

[60]#Covid-19: How States are ensuring midday meals, Education Policy Institute of Bihar, 22 March 2020. Retrieved from: https://www.biharedpolcenter.org/post/covid-19-how-are-states-ensuring-midday-meals

[61]PF benefits should be extended to contractual employees, rules Supreme Court, The Hindu, 20 January 2020. Retrieved from: https://www.thehindu.com/news/national/pf-benefits-should-be-extended-to-contractual-employees-rules-supreme-court/article30601030.ece

[62]Urgent Recommendations on addressing Domestic Violence during Covid-19 Pandemic (n 24)

[63]Covid-19 and Ending Violence against Women and Girls (n 15)

[64]Urgent Recommendations on addressing Domestic Violence during Covid-19 Pandemic (n 24)

Photo by CCPP, India

Photo by CCPP, India

Developed under the auspices of:

This policy submission was developed under the auspices of **Women and Crime Network,** a specialist research group under the **Center for Criminology & Public Policy** and was funded by **the Rajasthan Society of Criminology and Victimology.**

Acknowledgements

The author would like to acknowledge the significant contribution of **Ms. Vinita Shankarlal Kewlani** *(Policy Research Fellow at the Center for Criminology & Public Policy)* to this effort.

The author would also like to thank **Dr. Hanif Qureshi, IPS** *(IGP, Haryana Police and Mentor, Center for Criminology & Public Policy, India);* **Prof. Vijayalaxmi Chouhan** *(President, Well Being Society Rajasthan & Former Director of UGC Center of Women's Studies, MLSU);* **Prof. Manju Mandot** *(Director, Center for Women Studies, Janardhan Rai Nagar Rajasthan Vidhyapeeth, Udaipur);* **Dr. Avnish Nagar** *(Director, Childline Udaipur);* **Ms. Shabana Shaikh** *(Independent Researcher in the fields of Muslim Women and Domestic Violence);* **Mrs. Subhadra Chatterjee** *(Women Safety Enthusiast)* and **Mr. Ramesh Chandra** *(Economics Expert)* for lending their time and expertise to review drafts of this submission and suggest improvements.

A special mention must be made of **Mr. Imran Shaikh** *(Graphic Designer, Center for Criminology & Public Policy, India),* who designed and formatted this advisory. He can be contacted at +91-70163 73687.

Media Inquiry

To request a media interview related to this policy submission, please contact the **Director, R Rochin Chandra via email at rchandra@ccppindia.org or call +91-81108 35606.**

Knowledge Partners

Follow us on

Facebook:
/ccppindia

Linkedin:
Centre for Criminology and Public Policy, India

Twitter:
/CentrePublic

www.ccppindia.org

+91-8110835606

LG-27 Mangalam Fun Square, Durga Nursery Road, Udaipur (Raj.)